भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1108
10.02.2025 को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय वन विभाग में कदाचार

1108. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तहराबाद सताना नासिक में वन विभाग के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार के संबंध में शिकायतों विशेष रूप से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा ठेके देने के दौरान उचित प्रक्रिया को दरकिनार करना और कई फर्मों के साथ भेदभाव करना, जियो-टैग का प्राधिकार और आवश्यक जानकारी नहीं देना, आदि को संज्ञान में लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आरोपों की समीक्षा के लिए विशेष जांच दल या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सहित जांच शुरू की है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने इन भ्रष्ट आचरणों के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और बोली प्रक्रिया में उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तहराबाद-सताना-नासिक में वन-विभाग के भीतर कदाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य नागपुर ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उपरोक्त मामले का संज्ञान लिया है।

****